संख्या-03/2022/166/61-2022-283/2015टीसी-4

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊः दिनांक 27 अप्रैल, 2022

विषयः- जनपद सम्भल में निर्माणाधीन ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम/कार्यालय भवन के एकीकृत निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्ताव/आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-637/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017 टी०सी०-II, दिनांक-28.08.2020, पत्र संख्या-39/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017टी०सी०-II, दिनांक 12.01.2021 एवं पत्र संख्या-385/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017 टी०सी०-II, दिनांक-07 जून, 2021 तथा पत्र संख्या-458/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017 टी०सी०-II, दिनांक-05 मार्च, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा जनपद सम्भल में निर्माणाधीन ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम/कार्यालय भवन के एकीकृत निर्माण को पूर्ण कराये जाने हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्ताव/आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि जनपद सम्भल में ई०वी०एम० के भण्डारण हेतु तथा वी0वी0पैट के भण्डारण हेतु गोदाम/ कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 02 भिन्न शासनादेशों क्रमशः दिनांक 26.12.2016 तथा दिनांक 19.12.2018 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। निर्माणाधीन कार्य एक ही परिसर में किये जाने के कारण उक्त दोनों शासनादेशों द्वारा स्वीकृत कार्यो को एक ही परियोजना के अंतर्गत मानते हुए कार्यवाही की जा रही है। प्रश्नगत एकीकृत परियोजना को पूर्ण कराये जाने हेतु रू0-2,74,82,000/- के पुनरीक्षित प्रस्ताव/आगणन, जिसे लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरांत रू0 2,64,85,000/- निर्धारित किया गया है, स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया, जिसे निर्वाचन विभाग की मूल्यांकन समिति द्वारा रू० 248.88 लाख आंकलित किया गया। सम्प्रति अवमुक्त कुल धनराशि रू० 177.20 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था (उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0) के पास रू० 68.20 लाख की अवशेष धनराशि संरक्षित है।

---2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है :अत ,।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत परियोजना को पूर्ण कराये जाने हेतु मूल्यांकन समिति द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू० 248.88 लाख (रूपये दो करोड़ अड़तालीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मा० राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021- 231/2022, दिनांक-30.12.2021 और अन्य सुसंगत आदेशों तथा प्रश्नगत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मूल शासनादेशों क्रमश: दिनांक 26.12.2016 एवं 19.12.2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/ प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु सम्प्रति कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जा रही है। कार्यदायी संस्था के पास संरक्षित धनराशि रू० 68.20 लाख के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(4) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। विभागाध्यक्ष परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। स्वीकृत कार्यों से इतर धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(7) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा ।

(8) कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

---3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है :अत ,।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov. inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(9) आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जाए तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जाय। उक्त कार्य का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का होगा।

(10) प्रायोजना हेतु जी०एस०टी० की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

(11) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्यों हेतु निर्माताओं प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे मेक माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है ।

(12) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय ।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी का होगा।

(14) कार्यदायी संस्था के खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(15) कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा तथा धनराशि का आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जायेगा। उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(17) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

---4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है :अत ,।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov. inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आहरण/व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-ई0वी0एम0/वी0वी0पैट भण्डारण के लिए गोदाम निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अ०शा०संख्या वित्त E-12-4-X-2022-23, दिनांक 25.04.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्या-03(1)/2022/166/61-2022-283/2015 टीसी-4, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, सम्भल । (द्वारा स्पीड-पोस्ट)
(7) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3 ।
(8) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०
(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है :अत ,।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।